उत्तराखंड वन पंचायत संशोधन नियिमावली को स्वीकृति दी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **वन पंचायतों को मज़बूत और आत्मनर्भिर बनाने के** प्रयास में, उत्तराखंड सरकार ने एक कैबिनेट बैठक के दौरान वन पंचायत संशोधन नियिमावली को स्वीकृति दे दी, जिसके तहत ब्रिटिश काल के '**वन पंचायत के अधिनियिमों**' में संशोधन किया गया है।

मुख्य बिंदु:

- नए नियिमों के अनुसार **नौ सदस्यीय वन पंचायत** बनाई जाएगी, जिसे **जड़ी-बूटी उत्पादन, वृक्षारोपण, जल संचयन, वनाग्नि रोकथाम, इको-पर्यटन** में भाग लेने का अधिकार होगा।
- पहली बार वन पंचायत के वन प्रबंधन से त्रिस्तरीय स्थानीय निकायों को भी जोड़ा गया है।
  - **वन पंचायत** की अवधारणा - कानूनी रूप से सीमांकित ग्राम वन, जिनका प्रबंधन और उनके प्राकृतिक संसाधनों को ग्राम समुदायों द्वारा साझा किया जाता है, वर्ष 1921 में शुरू की गई।
- उत्तराखंड भारत का एकमात्र राज्य है **जहाँ वन पंचायत प्रणाली लागू है।**
  - यह एक ऐतिहासिक सामुदायिक वन प्रबंधन संगठन है जो **वर्ष 1930 से संचालित हो रहा है।**
  - वर्तमान में **राज्य में 11,217 वन पंचायतें हैं** जिनमें 4.52 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र है।
- कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने और पुरानी डीज़ल ईंधन वाली बसों और थ्री व्हीलर टेम्पो से होने वाले प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से '**उत्तराखंड क्लीन मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी**' को स्वीकृति दी।
  - यह नीति सबसे पहले देहरादून में लागू की जाएगी और उसके बाद अन्य ज़िलों में विस्तारित की जाएगी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/uttarakhand-approved-forest-panchayat-amendment-rules